BUREAU OF INDIAN STANDARDS

For immediate release

Press Note No: PRD/Press Note/7/2017-18 **8th August 2017**

BIS SEIZES PVC INSULATED CABLES WITH SPURIOUS ISI MARK

Bureau of Indian Standards (BIS) recently raided a factory in Delhi where PVC Insulated Cables with ISI Mark without valid licence was being manufactured. The raid was conducted after discrete information was received by Delhi Branch Office of BIS. The team with the help of police, seized all the spuriously ISI Marked material under different brands, namely, **SERVOCAB CABLES, STANCAB CABLES & VISCON CABLES** as per IS 694. This is a violation of BIS Act 1986. During the raid, 60 number of coils of cables, of different sizes and approximately 5000 nos. of packing material with spurious ISI mark were seized.

This offence is punishable under section 33 of BIS Act 1986 which includes fine upto Rs 50,000/- (Rupees Fifty thousand) or imprisonment upto one year or both and forfeitures of any property in respect of which contravention had taken place. Legal action against the offender is being initiated by BIS.

BIS, from time to time, cautions the general public, in their own interests, and advises to be careful while purchasing ISI marked material, since large quantity of spuriously ISI marked material have been pushed into the markets by unscrupulous elements. In case, any misuse of ISI mark is detected and reported to BIS, prompt and timely action is taken by the Bureau for carrying out search & seizure operation(s) and launching prosecution against the offenders under BIS Act, 1986.

Alka
Deputy Director, PR
23234048

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

प्रेस नोट सं: पीआरडी/प्रेस नोट/7/2017-18 08.08.2017

<u>बीआईएस द्वारा नकली आईएसआई मुहर लगी इन्सुलेटिड केबलों की जब्ती</u>

भारतीय मानक ब्यूरो ने प्राप्त सूचना के आधार पर हाल ही में दिल्ली स्थित फैक्ट्री में प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। दिल्ली स्थित इस फैक्ट्री में वैध लाइसेंस के बिना आईएसआई मुहर वाली इन्सुलेटिड केबलों का निर्माण किया जा रहा था। छापे में आईएस 694 के अनुसार आईएसआई मुहर वाला अनेक ब्रांड की सामग्री जैसे सर्वोकेब केबल, सेटैनकेब केबल तथा विस्कोन केबल प्राप्त हुए। इस परिसर में वैध लाइसेंस के बिना नकली आईएसआई मुहर लगी पीवीसी इन्सुलेटिड केबलों का निर्माण किया जा रहा था जो बीआईएस अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। इस परिसर से आईएसआई मुहर के साथ लगभग 60 कॉइल और 5000 के लगभग पैकिंग सामग्री जब्त की गई।

यह अपराध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 33 के अंतर्गत दण्डनीय है, जिसमें रु.50,000/-(पचास हजार रुपये) तक जुर्माना या एक साल तक कारावास या दोनों हैं और जिस परिसर में उल्लंघन हुआ है, उससे संबंधित संपत्ति जब्त की जाती है। बीआईएस द्वारा अपराधी के विरूद्ध अभियोजन दायर करने सहित, कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बीआईएस समय समय पर, सामान्य जनता को उनके हित में चेतावनी देता है और उन्हें सलाह देता है कि आईएसआई मुहर वाला सामान खरीदते समय सावधान रहें, चूँकि धोखेबाज लोगों द्वारा भारी मात्रा में नकली आईएसआई मुहर वाला सामान बाजार में भेजा जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो में आईएसआई मुहर के दुरुपयोग के किसी मामले का पता चलने और रिपोर्ट मिलने पर ब्यूरो द्वारा तुरंत तथा समय पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की जाती है और अपराधियों के खिलाफ बीआईएस अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

अलका
उपनिदेशक जनसंपर्क
23234048